

समाहरणालय, पटना ।
(शस्त्र शाखा)

फोन न० 0612-2219545 (का०)
फैक्स न०-0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

20-07-2013

—: आदेश :—

आवेदक श्री कृष्ण कुमार, पिता—श्री साधु शरण यादव, सा०—No-1, Bihar Naval Unit N.C.C., N.I.T. Campus, अशोक राजपथ, थाना—पीरबहोर, जिला—पटना, स्थायी पता—ग्राम—ओड बिगहा, पो०—नेवारी, थाना—मखदुमपुर, जिला—जहानाबाद से प्राप्त एक एन०पी०बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—09—385/2012 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि—19.07.2013 निर्धारित की गई। अपरिहार्य कारणों से सुनवाई की पहली तिथि स्थगित करते हुए दूसरी तिथि—20.07.2013 निर्धारित की गई।

दूसरी निर्धारित तिथि दिनांक—20.07.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे Chief Petty Officer, Patna हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का पत्रांक—525/गो०, दिनांक—03.04.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में अग्रसारित किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक, नगर, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, पीरबहोर के अनुशंसा के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित एवं अनुशंसित किया गया। थानाध्यक्ष, पीरबहोर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक Chief Petty Officer, Patna हैं। आवेदक द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया। तदोपरान्त आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अनुशंसित किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान—माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।


शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा

उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री कृष्ण कुमार, पिता—श्री साधु शरण यादव, सा0—No-1, Bihar Naval Unit N.C.C., N.I.T. Campus, अशोक राजपथ, थाना—पीरबहोर, जिला—पटना, स्थायी पता—ग्राम—ओड बिगहा, पो0—नेवारी, थाना—मखदुमपुर, जिला—जहानाबाद को उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।


श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगे।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।